

### प्रारूप - 3

#### भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संखक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति—
  - (क) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र — उत्तराखण्ड
  - (ख) जिला — दूरध्दि
  - (ग) जिला वन प्रभाग — व्यापारात्मा लंगु पुराणा
  - (घ) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
2. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्तिति।
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा—
  - (क) वन का प्रकार — अराक्षेत्र वन भूमि ०.१३९५
  - (ख) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व ११
  - (ग) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणाम लागू नहीं
  - (घ) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा लागू नहीं
4. भूमारण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लागू नहीं
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी। लागू नहीं
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता। लागू नहीं
  - (क) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा। लागू नहीं
  - (ख) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गतियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)।
  - (ग) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गतियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लागू नहीं
  - (घ) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गतियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लागू नहीं
  - (ङ) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि है, तो उसके व्यौरे।
7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें)
8. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें—
  - (क) क्या भाग-१ के पैरा ६ और पैरा ७ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है, और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
  - (ख) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। लागू नहीं
9. किए गए अतिक्रमण के व्यौरे—
  - (क) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शन सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)
  - (ख) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के व्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
  - (ग) क्या अतिक्रमण में कार्य अवधि प्रगति में है (हाँ/नहीं) नहीं।
10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्यौरे—
  - (क) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्तिति।

1. यनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप यन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ / नहीं) **लाभुनंद**

~~१८-०६-१९~~ निर्माण वाया फुरोड़ी  
दिनांक स्थान  
१-७-२००९  
(मेरि - लाला)

हस्ताक्षर  
अधिशासी अभियन्ता  
विनायक शासा, उत्तराधिकार पेंजब लिंगम  
ददा रखाता (पुरोहि)

३८

दृष्टि-प्रदृष्टि द्वारा  
शासकीय मुद्दा  
प्रभागीय वनाधिकारी  
घकराता वन प्रभाग  
घकराता